बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

—::ज्ञापन::—

श्री दामोदर रावत, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त परिवाद पत्र में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा अन्तर्गत चार पथों यथा यथा (i) जामू खरैया–धपरी पथ से काबर यादव टोला तक (ii) झाझा बोड़वा RCD पथ से नियर घुटिया से कटझोसवा टोला तक (iii) बलियो– कोड़वाडीह MR पथ नियर पाण्डेय तेतरियाटॉड से पाण्डेयडीह चेरकी पाथर तक (iv) धमना–नवाडीह पथ से भगदसवा पथ में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। पथों का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराये जाने, स्थानीय स्तर पर निकलने वाले मोरंग एवं पत्थर को G.S.B के स्थान पर लगाने एवं कार्यपालक अभियंता से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने संबंधित तथ्यों का उल्लेख परिवाद पत्र में किया गया।

2. परिवाद पत्र में अंकित उक्त आरोपों की संयुक्त जॉच मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अंचल, पटना, एवं कार्यपालक अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गयी। मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1670 अनु0 दिनांक 02.05.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें एकरारनामा के अनुसार पथ का निर्माण कार्य दिनांक 14.03.2025 तक पूर्ण किया जाना था, किन्तु निरीक्षण की तिथि तक मात्र GSB Layer का कार्य किया हुआ पाया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झाझा द्वारा जॉच दल को निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्य में हो रहे उक्त विलंब के लिए योजना से संबंधित अभियंता श्री नवनील कुमार हिमांशु, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झाझा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा, योजना एवं विकास विभाग को जिम्मेदार माना गया।

3. उक्त से स्पष्ट है कि श्री हिमांशु द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) के प्रतिकूल है।

4. उक्त तथ्यों के आधार पर श्री हिमांशु के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है।

5. उक्त आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री हिमांशु, तदेन कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर अपना स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत करें।

6. श्री हिमांशु को सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मदों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन उपर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।

कृपया इस ज्ञापन की प्रति स्वीकार की जाय।

14/7/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0–2 / अ0प्र0–2–04 / 2024 पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री नवनील कुमार हिमांशु, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झाझा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा, योजना एवं विकास विभाग को आरोप पत्र तथा साक्ष्य अभिलेखों की प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/7/25

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञाप सं0–2 / अ0प्र0–2–04 / 2024 7642 पटना / दिनांकः– 15.7.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/7/25

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग